रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927

No. 84] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2006

सा.का.नि. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 ग और धारा 610 क की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 642 की उप धारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 में, -

1) खण्ड (ग) के पश्चात उप-नियम (11) के नियम 3 में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"(घ) इन नियमों में विहित प्रपत्रों को इलैक्ट्रोनिकी मीडिया या किसी अन्य पठनीय कम्प्यूटर मीडिया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610 क में निर्विष्ट, के अनुसार भरा जाए।

(ड.) इलैक्ट्रानिकी प्ररूपोंको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) के अधीन यथा परिभाषित अंकीय हस्ताक्षरों को उपयोग करते हुए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(च) इन नियमों में विहित प्रपत्रों को जब कागजों में भरा जाएगा तो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उन्हें अधिप्रमाणित करेगा।"

प्ररूप संख्यांक 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात :-

प्ररूप 1 **[(विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ता की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 के नियम 3 के अनुसरण में)]**	**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई राशि का विवरण**

टिप्पण - * चिन्हित सभी स्थानों को अवश्य भरा जाय ।

1(क). * कम्पनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) ------------------------------------

(ख). कम्पनी का विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन) ------------------------------------

2(क) कम्पनी का नाम ------------------------------------

(ख). कम्पनी के रजिष्ट्रीकृत कार्यालय का पता

3. * निधि में राशि के भुगतान की तारीख/मास/वर्ष ....

4. * भुगतान का माध्यम .... नकद .... डिमांड ड्राफ्ट

5. निधि में जमा की गई राशि के विवरण

(क). कम्पनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम (रू. में)...............................

(ख). कोई प्रतिभूति या प्रति संदेय के लिए देय के आबंटन के लिए कम्पनियों द्वारा प्राप्त आवेदन धन (रू. में) ....

(ग). कम्पनियों में परिपक्व निक्षेप (रू. में) ....

(घ). कम्पनियों में परिपक्व डिबेन्चर (रू. में) ....

(ङ). उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) तक निर्दिष्ट रकम पर उद्भूत ब्याज

(i) असदंत्त लाभांश (रू. में).................................

(ii) प्रतिसंदेय के लिए बकाया आवेदन धन (रू. में)................................

(iii). कम्पनियों में परिपक्व निक्षेप (रू. में) ....

(iv). कम्पनियों में परिपक्व डिबेन्चर (रू. में) ....

(च). अनुदान और दान (रू. में) ....

6. वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है ....

7. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 क(6) और 205 क(7) के अधीन फाइल किए गए प्रारूप 1 भरने के ब्यौरे

....

....

संलग्नक

1. * निधि की राशि के चालान साक्ष्य वाले जमा की प्रति

2. अन्य संलग्नक - यदि कोई हो

संलग्नकों की सूची

घोषणा

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, इस प्ररूप में दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सत्य और पूर्ण हैं। मुझे निदेशक बोर्ड के तारीख/मास/वर्ष....................... के संकल्प द्वारा इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय रूप हस्ताक्षरित किए जाएंगे

कम्पनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मैसर्स................................ के उपर्युक्त विवरण को लेखा बहियों और अभिलेखों का सत्यापन कर लिया है और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया है।

लेखा परीक्षक या लागत लेखाकार या कम्पनी सचिव (पूर्ण कालिक) या सांविधि संपरीक्षक

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :

इस ई-प्ररूप को एतद्द्वारा रजिष्ट्रीकृत किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

[फा. सं. 1/6/2005/सीएल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 750 (अ) तारीख 01.10.2001 द्वारा प्रकाशित किये गए थे.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2006

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sub-section (3) of section 205C and section 610A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Amendment Rules, 2006.

   (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001, –

   (i) in rule 3, in sub-rule (ii), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely: -

   "(d) The Forms prescribed in these rules may be filed through electronic media or through any other computer readable media as referred under section 610A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

   (e) The electronic-form shall be authenticated by the authorized signatories using digital signatures, as defined under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

   (f) The Forms prescribed in these rules, when filed in physical form, may be authenticated by authorized signatory by affixing his signature manually."

for Form No. I, the following Form shall be substituted, namely:-

"

FORM 1

[Pursuant to rule 3 of the Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001]

Statement of amounts credited to investor education and protection fund

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1(a). *Corporate identity number (CIN) of company [ ] Pre-Fill

(b). Global location number (GLN) of company [ ]

2(a). Name of the company [ ]

(b). Address of the registered office of the company [ ]

3.*Date of payment of amount to the fund [ ] (DD/MM/YYYY)

4.* Mode of payment

○ Cash ○ Demand draft

5. Details of the amount credited to the fund

(a) Amount in the unpaid dividend accounts of companies (in Rs.) [ ]

(b) The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund (in Rs.) [ ]

(c) Matured deposits with companies (in Rs.) [ ]

(d) Matured debentures with companies (in Rs.) [ ]

(e) Interest accrued on the amounts referred to in clause (a) to (d) above

(i) Unpaid dividend (in Rs.) [ ]

(ii) Application money due for refund (in Rs.) [ ]

(iii) Matured deposit with companies (in Rs.) [ ]

(iv) Matured debentures with companies (in Rs.) [ ]

(f) Grants and donation (in Rs.) [ ]

6. Financial year(s) to which the amount(s) relates

[ ]

6294 G 17/2006-2

7. Details of filing Form 1 under section 205A(6) and 205A(7) of the Companies Act, 1956

Attachments

1.* Copy of challan evidencing deposit of the amount to the fund Attach

2. Optional attachment(s) - if any Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete. I have been authorised by the board of directors' resolution dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To be digitally signed by

Managing director or director or manager or secretary of the company

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books of account and records of M/s

and found them to be true and correct.

Chartered accountant or cost accountant or company secretary (in whole-time practice) or statutory auditor

Modify Check Form Prescrutiny Submit

For office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer Submit to BO

[F. No.1/6/2005/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. number 750(E) dated 01-10-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.